रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102023-249323
CG-DL-E-11102023-249323

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4250] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 11, 2023/आश्विन 19, 1945
No. 4250] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2023/ASVINA 19, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4421(अ). — केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1811 (अ), तारीख 7 जून, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1811 (अ), तारीख 7 जून, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक

का.आ. 1811 (अ), तारीख 7 जून, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

(i) पैरा 2 के, उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, 11 अक्टूबर, 2023 से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना के अनुसार एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी";

(ii) पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"5. **मानीटरी समिति.-** (1) केन्द्रीय सरकार, पारिस्थितिकसंवेदी जोन- की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है ,जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

(i)	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरू	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि, कर्नाटक सरकार	सदस्य, पदेन;
(iii)	शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि, कर्नाटक सरकार	सदस्य, पदेन;
(iv)	प्रत्येक मामले पर तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रकृति संरक्षण) जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी हैके क्षेत्र में काम करने (सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि।-वाले गैर	सदस्य;
(v)	प्रत्येक मामले पर तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कर्नाटक राज्य के प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ।	सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर।	सदस्य, पदेन;
(vii)	उप-आयुक्त या उनके प्रतिनिधि, दावनगेरे	सदस्य, पदेन;
(viii)	सदस्य, राज्य जैव-विविधता बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(ix)	उप वन संरक्षक, दावनगेरे (टी) प्रभाग, दावनगेरे	सदस्य-सचिव, पदेन।

(iii) पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**6. मानीटरी समिति के कार्य-.** (1) मानीटरी समिति, वास्तविक स्थलवि-निर्दिष्ट स्थितियों के आधार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले और इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों की जांच करेगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करवाने के लिए, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या, यथास्थिति राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगी।

(2) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अंतर्गत नहीं आने वाले क्रियाकलाप, और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलाप, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा जांच की जाएगी और समुचित प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त या उप-वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम,1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति संबंधित विभागों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों के प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) मानीटरी समिति पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी वार्षिक कार्रवाई में उसके पूरे क्रियाकलापों की रिपोर्ट, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबद्ध-IV में विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार उस वर्ष की , जून तक 30 प्रस्तुत करेगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार, मानीटरी समिति को इस अधिसूचना के अधीन उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह उचित समझे।"।

[फा. सं. 25/161/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1811 (अ), तारीख 7 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2023

S.O. 4421(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the power conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 issued in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 1811(E), dated the 7th June, 2017;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1811(E), dated the 7th June, 2017;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1811(E), dated the 7th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in paragraph 2, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The State Government shall prepare a Zonal Master Plan for the purposes of the Eco-sensitive Zone in consultation with local people and in accordance with this notification, within a period of two years from the 11th October, 2023";

(ii) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"5. **Monitoring Committee**.- There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted of the Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i)	Regional Commissioner, Bengaluru	Chairman, *ex Officio*;
(ii)	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka.	Member, *ex Officio*;

(iii)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member, *ex Officio*;
(iv)	Representative of Non-Governmental Organisations working in the field of nature conservation (including heritage conservations) to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years in each case.	Member;
(v)	One expert in ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years in each case.	Member;
(vi)	Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysuru.	Member, *ex Officio*;
(vii)	Deputy Commissioner or his representative, Davanagere.	Member, *ex Officio*;
(viii)	Member, State Biodiversity Board	Member, *ex Officio*;
(ix)	Deputy Conservator of Forests, Davanagere (T) Division, Davangere.	Member Secretary, *ex Officio*.

(iii) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"6. **Functions of the Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and refer to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for consideration of grant of prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the appropriate authority.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee and the District Collector concerned or the Deputy Conservator of Forests concerned shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report giving full account of its activities during the previous financial year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in proforma specified in Annexure-IV, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions under this notification.".

[F. No. 25/161/2015 -ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1811 (E), dated the 7th June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.11 22:35:13 +05'30'